



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



8 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 789 राँची, शुक्रवार

29 दिसम्बर, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2023

संख्या-08/विविध/191/2014/न०वि०आ० .5842--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07 वि 2012) की धारा-481 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत वर्तमान जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के वार्ड संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19, जिसका नया सर्वे वर्ष 1996 के अनुसार कुल क्षेत्र 15,725 एकड़, सेटेलाईट मैप सर्वे के अनुसार वास्तविक क्षेत्र 15,480 एकड़ होगी (संलग्न नक्शे के अनुरूप) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के रूप में घोषित करते हैं ।

2. गठित औद्योगिक नगरी के लिए समिति, वैधानिक दर्जा, प्रशाखा, कार्यालय भवन, बैठक एवं कार्य संचालन, राजस्व के स्रोत, मद निर्धारण, लेखा संधारण एवं लेखा परीक्षा हेतु निम्न प्रावधान निरूपित किये जाते हैं :-

(I) जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति (**Jamshedpur Industrial Township Committee**) **JITC**- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-481 (3) के प्रावधानों के आलोक में जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के निर्धारित कार्यकलापो पर यथा विहित निगरानी हेतु जिले के प्रभारी मंत्री/स्थानीय मंत्री, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति (JITC) गठित की जाती है। प्रभारी मंत्री/स्थानीय मंत्री की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा की जायेगी। जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति(JITC) का स्वरूप निम्नवत होगा :-

(क) राज्य सरकार के प्रतिनिधि (कुल 06 सदस्य) -

- | | | | |
|-----|---|---|-----------|
| i. | जिला के प्रभारी मंत्री/स्थानीय मंत्री | - | अध्यक्ष |
| ii. | उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम | - | उपाध्यक्ष |
| iii | अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम/धालभूम | - | सदस्य |
| iv | जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम | - | सदस्य |
| v | उपसमाहर्ता (टाटा लीज), पूर्वी सिंहभूम | - | सदस्य |
| vi | राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी, जो अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से अन्यून ना हो और जो Statutory Cell (SC) के प्रभारी भी होंगे | - | प्रशासक |

(ख) टाटा स्टील के प्रतिनिधि (कुल 11 सदस्य) -

- | | | | |
|------|--|---|-----------|
| i. | टाटा स्टील लिमिटेड के वाईस प्रेसिडेंट | - | उपाध्यक्ष |
| ii. | प्रबंध निदेशक, टाटा स्टील युटिलिटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | - | सदस्य |
| iii. | चीफ कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, टाटा स्टील लिमिटेड | - | सदस्य |
| iv. | वरीय महाप्रबंधक, टाउन ऑपरेशन्स टाटा स्टील युटिलिटीज-सदस्य सचिव एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | - | |
| v | प्रमुख, लैंड एण्ड मार्केट, टाटा स्टील लिमिटेड | - | सदस्य |
| vi | ईआईसी, टाउन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, टाटा स्टील युटिलिटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | - | सदस्य |
| vii | प्रमुख, लीगल फंक्शन, टाटा स्टील लिमिटेड | - | सदस्य |
| viii | प्रमुख, सीएसआर फंक्शन, टाटा स्टील लिमिटेड | - | सदस्य |

ix	प्रमुख, वाटर मैनेजमेंट, टाटा स्टील युटिलिटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	-	सदस्य
x	प्रमुख, पब्लिक हेल्थ फंक्शन, टाटा स्टील युटिलिटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	-	सदस्य
xi	विशेषज्ञ, कैपिटल प्लानिंग, टाटा स्टील लिमिटेड	-	सदस्य
(ग)	स्थानीय शहरी प्रतिनिधि (कुल 10 सदस्य) -		
i.	संसद सदस्य-09, जमशेदपुर	-	सदस्य
ii.	विधान सभा सदस्य-48, जमशेदपुर पूर्व	-	सदस्य
iii.	विधान सभा सदस्य-49, जमशेदपुर पश्चिम	-	सदस्य
iv.	प्रमुख, टाटा मोटर्स लिमिटेड, जमशेदपुर इकाई	-	सदस्य
v	अध्यक्ष, टाटा कामगार युनियन	-	सदस्य
vi	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मनोनीत सेवा/कला/उद्योग/सामाजिक/संस्कृति/खेल के (अधिकतम 05 सदस्य) क्षेत्र में	-	सदस्य

ख्याति प्राप्त स्थानीय निवासी

(II) जमशेदपुर औद्योगिक नगरी का वैधानिक दर्जा -

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में निहित प्रावधान के अनुसार यह एक स्थानीय शहरी निकाय (नगरपालिका) के स्तर का होगा एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 तथा राज्य सरकार के नियम अनुसार संचालित होगा जबतक राज्य सरकार द्वारा उक्त आशय कोई भिन्न प्रावधान नहीं निरूपित किये गये हों।

शहरी स्थानीय निकाय (यथा-नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के अनुरूप जमशेदपुर औद्योगिक नगरी पर सभी सरकारी प्रावधान लागू होंगे।

जमशेदपुर औद्योगिक नगरी वर्तमान में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को प्रतिस्थापित करेगी तथा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधन अपने वर्तमान स्वरूप एवं प्रकृति के साथ जमशेदपुर औद्योगिक नगरी में समाहित होंगे।

(III) जमशेदपुर औद्योगिक नगरी अंतर्गत मुख्यतः 02 (दो) प्रशाखा होंगे :-

(क) Statutory Cell (SC)

- यह प्रशासक, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा के अधीन कार्य करेगी, जिसमें Statutory Functions, लाईसेंसिंग कार्य, जन्म-मृत्यु निबंधन

कार्यालय संचिका संधारण, Enforcement संबंधी कार्य, सूचना अधिकार, दण्ड एवं शुल्क का अधिरोपन एवं झारखण्ड नगरपालिका के अंतर्गत प्रदत्त अन्य वैधानिक कार्य तथा JITC द्वारा निर्धारित कार्य ।

(ख) Industrial Establishment (IE) &

- (i) यह JITC के अधीन सम्पूर्ण जमशेदपुर औद्योगिक नगरी में Municipal Services प्रदान करेगी, जिसके अंतर्गत, टाटा स्टील युटिलिटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जुस्को), टाउन प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, वाटर एण्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, लोक स्वास्थ्य, पर्यावरण, वाणिकी एवं विद्युत सेवाएँ आदि कार्य आयेंगे ।
- (ii) यह स्वयं अथवा अपने द्वारा चयनित एजेन्सी/व्यक्ति/संस्था के द्वारा उपरोक्त कार्यों का निष्पादन करेगी तथा उससे संबंधित कार्यालय दस्तावेजों का संधारण करेगी ।
- (iii) यह अपने क्षेत्र अंतर्गत नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु तकनीकी पहलुओं के अधीन कार्य करेगी तथा मेला/हाट-बाजार आदि से शुल्क वसूल कर सकेगी तथा नागरिक सुविधा स्थलों का रख-रखाव भी करेगी। इससे संबंधित नियम JITC द्वारा बनाये जा सकेंगे ।

(IV) जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति (JITC) का कार्यालय भवन, बैठक एवं कार्य संचालन-

(क) JITC का एक अपना एकीकृत कार्यालय भवन होगा, जहाँ एक छत के नीचे सभी नागरिक सुविधाओं हेतु कार्य किये जा सकेंगे ।

(ख) JITC अन्य शहरी स्थानीय निकायों के पर्वद (Board) की भाँति कार्य करेगी तथा अपने क्षेत्र अन्तर्गत कार्यों एवं बेहतर नागरिक सुविधाओं हेतु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार आवश्यक निर्णय लेगी। यथा आवश्यकता JITC अपने कार्यों के सुचारु कार्यान्वयन के निमित्त पेशेवर व्यक्तियों/संस्था की सेवा प्राप्त कर सकेगी ।

(V) जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के राजस्व के स्रोत -

- (क) झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत लाईसेंस और वैधानिक कार्यों से प्राप्त सभी आय, जैसे विज्ञापन कर और शुल्क, पार्किंग शुल्क, भवन अनुमोदन शुल्क, लाईसेंस शुल्क, जन्म और मृत्यु पंजीकरण शुल्क आदि ।
- (ख) टाटा स्टील लीज क्षेत्र से बाहर अवस्थित क्षेत्रों के लिए राइट ऑफ वे के अनुदान के लिए एकत्रित शुल्क JITC का राजस्व होगा ।
- (ग) उपयुक्त सरकार, संस्थानों या प्राधिकरणों से प्राप्त अनुदान और योजनाओं या वित्तीय सहायता से प्राप्त धन ।

(घ) इसके अलावा, JITC उक्त उद्देश के लिए बनाए गए अधिनियम या विनियमों के तहत निर्धारित दरों के अनुसार औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में संपत्ति हस्तांतरण पर शुल्क लेने का भी हकदार होगा।

(ड) Industrial Establishment (IE) द्वारा एकत्रित राजस्व भी JITC का हिस्सा होगा।

(VI) जमशेदपुर औद्योगिक नगरी का मद निर्धारण, लेखा संधारण एवं लेखा परीक्षा -

जमशेदपुर औद्योगिक नगरी अंतर्गत झारखण्ड नगरपालिका अकाउन्ट्स मैनुअल एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता/खातों होंगे, जिसके अंतर्गत JITC के सभी प्रकार की राशि सुरक्षित रहेगी तथा JITC के निर्णय अनुसार नगरपालिका नियमों के अधीन उपयोग में लायी जा सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
